



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1811]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 2014/भाद्र 20, 1936

No. 1811]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2014/BHADRA 20, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 11 सितंबर, 2014

का.आ. 2304(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड नियम, 2003 के नियम 3 के उप-नियम (4) के साथ पठित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1093(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,

(क) खंड (ड) में क्रम संख्या (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(ii) वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ) फॉर नेचर, नई दिल्ली

(iii) अरण्यक, गुवाहाटी, असाम

(iv) प्रकृति संरक्षण सोसायटी, झारखंड

(v) बम्बई प्राकृतिक इतिहास सोसायटी (बी एन एच एस), मुंबई, महाराष्ट्र";

(ख) खंड (च) में क्रम संख्या (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :

- "(iii) श्री वी बी सावरकर
- (iv) श्री एस एस बिष्ट
- (v) डा. पी एस ईसा
- (vi) श्री पी आर सिन्हा
- (vii) डा. आर जे राव
- (viii) डा. मदन मोहन पंत
- (ix) श्री राजेन्द्र पी केरकर
- (x) श्री लव कुमार खाचर ।";

(ग) खंड (फ) में क्रम संख्या (v) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

- "(vi) पंजाब
- (vii) केरल
- (viii) गुजरात
- (ix) त्रिपुरा
- (x) पश्चिम बंगाल ।"

[फा. सं. 6-46/2013-डब्ल्यू एल]

डा. एस. एस. गर्बयाल, वन महानिदेशक और विशेष सचिव तथा निदेशक, वन्य जीव परिरक्षण

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 1093(अ), तारीख 22 सितंबर, 2003 को प्रकाशित की गई थी और पश्चात्पूर्ति संशोधन का.आ. संख्या 1249(अ), तारीख 8 नवंबर, 2004; का.आ. 1324(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2004; का.आ. 802(अ), तारीख 16 मई, 2007; का.आ. 483(अ), तारीख 25 फरवरी, 2010 और का.आ. 1886(अ), तारीख 22 जुलाई, 2014 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2014

S.O. 2304(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5A of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) read with sub-rule (4) of rule 3 of the National Board for Wild Life Rules, 2003, the Central Government hereby nominates the following as members to the National Board for Wild Life and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1093(E), dated 22nd September, 2003, namely:—

In the said notification,—

(a) in clause (e), after serial number (i) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

- “(ii) World Wildlife Fund for Nature-India, New Delhi,
- (iii) Aranyak, Guwahati, Assam,
- (iv) Nature Conservation Society, Jharkhand,
- (v) Bombay Natural History Society, Mumbai, Maharashtra.”;

(b) in clause (f), after serial number (ii) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

- “(iii) Shri V.B. Sawarkar,
- (iv) Shri S.S. Bisht,
- (v) Dr. P.S. Easa,
- (vi) Shri. P.R. Sinha,
- (vii) Dr. R. J. Rao,
- (viii) Dr. Madan Mohan Pant,
- (ix) Shri Rajendra P. Kerkar,
- (x) Shri Lav Kumar Khachar.”;

(c) in clause (v), after serial number (v) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

- “(vi) Punjab,
- (vii) Kerala,
- (viii) Gujarat,
- (ix) Tripura,
- (x) West Bengal.”

[F. No. 6-46/2013-WL]

Dr. S. S. GARBYAL, Director General of Forests and Special Secretary and Director, Wildlife Preservation

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1093 (E), dated the 22nd September, 2003 and subsequently amended *vide* S.O. 1249 (E), dated the 8th November, 2004; S.O. 1324 (E), dated the 1st December, 2004; S.O. 802 (E), dated the 16th May, 2007, S.O. 483 (E), dated 25th February, 2010 and S.O.1886(E), dated 22nd July 2014.